भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3319

20 मार्च, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

सर्दी के मौसम के लिए आवास/आश्रय

3319. श्री गुरजीत सिंह औजलाः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अत्यधिक ठंड के कारण भारत में प्रतिवर्ष लगभग 655400 मौतें होती हैं;

(ख) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2019 से 2024 के दौरान हाशिए पर स्थित लोगों के लिए पर्याप्त आवास और आश्रय प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) सर्दी से होने वाली मौतों, यदि कोई हो, से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किए गए अध्ययनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या क्षेत्र-विशिष्ट आवास अथवा आश्रय संबंधी पहल विकसित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने गरीबी अथवा अस्थायी आश्रयों में रह रहे व्यक्तियों को सर्दी के कपड़े, कंबल और हीटिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों अथवा गैर-सरकारी संगठनों के समन्वय से कोई उपाय किए हैं;

(च) यदि हां, तो गरीब आबादी पर ठंड के मौसम के प्रभाव को कम करने के लिए इन पहलों की प्रगति और परिणाम क्या हैं; और

(छ) क्या सरकार ने अमृतसर के लिए किसी विशेष पैकेज का प्रस्ताव किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क): सरकार अत्यधिक ठंड की चुनौतियों और असुरक्षित आबादी पर पड़ने वाले इसके प्रभाव से अवगत है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ठंड के मौसम और शीत लहरों के कारण होने वाली मौतों के आकड़े नहीं रखता है।

(ख): शहरी बेघरों के लिए आश्रय प्रदान करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। हालांकि, उनके प्रयासों में सहायता करने के उद्देश्य से, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) के तहत **शहरी बेघरों के लिए आश्रय (एसयूएच)** योजना चलाई। इस योजना में शहरी बेघरों को बुनियादी सुविधाओं के साथ स्थायी आश्रय प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। यह मिशन सितंबर 2024 तक चलाया गया था। इसके अलावा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय सर्दियों के दौरान शीतकालीन कार्य योजना तैयार करने और शहरी बेघरों को रहने की जगह देने के लिए आवश्यक सुविधाओं के साथ शहरी बेघरों के लिए अस्थायी आश्रय चलाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्शिकाएं जारी करता है।

(ग): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नहीं कराया गया है।

(घ): एसयूएच दिशा-निर्देशों के अनुसार, स्थानीय/नगरपालिका निकायों द्वारा शहरों/कस्बों में तृतीय-पक्ष सर्वेक्षण किए जाने हैं, ताकि उपयुक्त स्थानों पर आश्रयों की आवश्यकता का सटीक आकलन किया जा सके। आश्रय गृहों से बेघर आबादी के सबसे असुरक्षित समूहों जैसे (क) अकेली महिलाओं और उनके आश्रित नाबालिग बच्चों, (ख) बुजर्गों, (ग) अशक्तों, (घ) दिव्यांगों, (ड.) मानसिक रूप से दिव्यांगों आदि की ज़रूरतों की पूर्ति हो सकती है। वास्तविक ब्यौरा स्थानीय विशिष्टताओं, शहर के आकार और आश्रयों की कुल संख्या पर निर्भर करेगा। राज्य/यूएलबी पुरुषों, महिलाओं, परिवारों के लिए आश्रय और विशेष आश्रय (देख-रेख की सुविधा से वंचित बुजर्गों, मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग आदि के लिए) की विशेष ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अलग-अलग आश्रय स्थापित करने पर विचार कर सकते हैं।

एसयूएच के दिशा-निर्देशों में पर्यावरण अनुकूल डिजाइन, वर्षा जल संचयन, सौर तापन/प्रकाश व्यवस्था आदि की सुविधाओं के साथ कंक्रीट या टिकाऊ और मौसम-रोधी वैकल्पिक संरचनाओं से बने स्थायी आश्रयों की स्थापना की व्यवस्था की गई है।

(ड.) से (छ): डीएवाई-एनयूएलएम के अंतर्गत, यह मंत्रालय चयनित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कड़ी सर्दी शुरू होने से पहले शहरी बेघरों को रहने की जगह देने के लिए शीतकालीन कार्य

योजना के संबंध में परामर्शिका जारी करता है। इसमें अस्थायी आश्रयों की व्यवस्था, बेघर व्यक्तियों को आश्रयों तक पहुंचाने के लिए अभियान चलाना आदि शामिल है।

डीएवाई-एनयूएलएम के अंतर्गत अत्यधिक ठंड के लिए अमृतसर के लिए किसी विशेष पैकेज की घोषणा नहीं की गई है।